न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 39/19 **निर्णय दिनांकः 14.05.2019**

1. रामरख मांझू पुत्र श्री हनुमान मांझू जाति जाट निवासी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20—02—1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री ओमप्रकाश भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 20—02—1985 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को चक 1 एसडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 220/19 की 24 बीघा भूमि आवंटित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट् को चक 1 एसडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 220/19 की 24 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20—02—1985 को अपीलांट को बिना सुनवाई व नोटिस प्रदान किये अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज भी उक्त भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। चूंकि उक्त भूमि अन्य व्यक्ति वीरभान पुत्र रणजीत जाति जाट को आवंटित हो चुकी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—02—1985 के विरूद्व अपील दिनांक 04—02—19 को पेश की है। जोकि 34 वर्ष विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज किया गया है। लिहाजा अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के अनुसार अपीलांट को भूमि आवंटन के पश्चात् कब्जा लेकर बकाया राशि राजकोष में जमा करवानी थी। अपीलांट को इस बाबत् दिनांक 20—02—1985 को नोटिस भी जारी किया गया था, परन्तु आवंटित भूमि के चक में निवास नहीं करने के कारण नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में आवंटन अधिकारी के समक्ष आवंटन खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

आवंटी यदि आवंटित भूमि का काब्जा लेने तथा काश्त करने में रूचि रखता तो आवंटन के पॉच सात वर्ष के भीतर आवंटन अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर वांछित औपचारिकता पूर्ण करता तथा रद्द किये गये आवंटन को बहाल करवाने की कार्यवाही करता, परन्तु आगामी 33 वर्ष तक आंवटी अपने अधिकारों के प्रति तटस्थ रहा। अपीलांट ने कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि आवंटन हेतु आवेदन पेश करने के आगामी 33 वर्ष तक उसने कब कब व किस स्तर पर भूमि पर कब्जा लेने हेतु प्रयास किया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विकल्ब के लिये बताया गया कारण संतोषजनक नहीं है तथा न ही गुणावगुण पर आवंटी को कोई अनुतोष दिया जा सकता है। परीक्षण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से आवंटी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण आवंटन खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—02—1985 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 14.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर